रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937
No. 737] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 913(अ).—केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियम पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, तो संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001 को भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए गए आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (पंद्रहवां संशोधन) नियम 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 122 में, उपनियम (1क) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि प्रथम अप्रैल, 2016 को और से निर्माण उपस्कर यानों की दशा में पहचान संख्या, जिसके अंतर्गत उस पर समुदभृत या निरेखित या पंच किया गया सन्निर्माण का वर्ष और मास है तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-136:2015 के अनुसार होगी, जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किया जाता है ।"।

[सं. आरटी-11028/14/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 677(अ), तारीख 03.09.2015 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2015

G.S.R. 913(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be sent to Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 122, after the provisio to sub-rule (1A), the following provisio shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and from 1st day of April, 2016 in case of the construction equipment vehicles the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it shall be in accordance with AIS-136:2015, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

[No. RT-11028/14/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number 677(E) dated 03.09.15.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.